

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./83/09/1393

भोपाल,दिनांक 4/11/09

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।
2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती दीप्ती शर्मा (रसायन)	AO 3721	शास.उ.मा.वि.पंधाना जिला खण्डवा	23290877701	शास.उ.मा.वि. गोंसलपुर जिला जबलपुर	23390577712
2	श्री ओमप्रकाश जैन (राजनीति)	BE 3955	शास.उ.मा.वि. बिरमावल जिला रतलाम	23209577710	शा.उ.मा.वि. महाराजवाडा क्र-2 उज्जैन जिला उज्जैन	23210777/02
3	श्री शालिगराम नायक (राजनीति)	AH 4876	शास.उ.मा.वि. चांदामेटा जिला छिन्दवाडा	23430377704	शा.स.क.उ.मा.वि. चौरई जिला छिन्दवाडा	23431177701
4	श्री मन्साराम धुर्वे (राजनीति)	AH 4901	शास.क.उ.मा.वि. चौरई जिला छिन्दवाडा	23431177701	शास.उ.मा.वि. चांदामेटा जिला छिन्दवाडा	23430377704

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.


भोपाल,दिनांक 4/11/09

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./83/09/1394
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला खण्डवा / जबलपुर / रतलाम / उज्जैन / छिन्दवाडा।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खण्डवा / जबलपुर / रतलाम / उज्जैन / छिन्दवाडा।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाषीय कार्यालय जबलपुर / उज्जैन / इन्दौर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला खण्डवा / जबलपुर / रतलाम / उज्जैन / छिन्दवाडा।
7. जिला शिक्षा अधिकारी खण्डवा / जबलपुर / रतलाम / उज्जैन / छिन्दवाडा म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन

संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। एवं संबंधित से स्वयं का संस्था प्रधान से प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत संचालनालय को तत्काल भेजे ।

8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.